कृषि उत्पादों के निर्यात भाड़े का 30 फीसदी देगी सरकार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार कृषि व उनके उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के दौरान माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30 प्रतिशत या 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आर्थिक सहायता निर्यातकों को देगी। इस योजना में हर निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस योजना में पांच लाख

इसके साथ ही प्रदेश के निर्यातकों के लिए निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थना योजना शुरू किए जाने का फैसला किया गया है। भारतीय निर्यातक क्रेडिट गारंटी निगम को वार्षिक प्रीमियम के रूप में निर्यातकों द्वारा दी गई राशि का 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जाएगा। यह अधिकतम हर साल पांच लाख रुपये होगी।